प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 99/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

Praggya Shukla Add: Hiran Magri, Udaipur

...............अपीलार्थिया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 28/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329984259159907 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना से संबंधित प्रमाणित प्रतियां चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थिया को चाही गई सूचना नहीं कर दिये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुंत की गई है।

अपील अपीलार्थिया दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तंथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/99/25/644–45 दिनांक 02.07.2025 तथा ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2892068340 दिनांक 02.07.2025 से लिखा गया।

अपीलार्थिया द्वारा दिनांक 17.07.2025 को पत्र प्रेषित करते हुए निवेदन किया कि मेरे द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है इसलिए मैं प्रथम अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूं। अतः अपील विड्रो करने की अनुकम्पा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थिया द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वांछित सूचना प्राप्त हो गई है एंव अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

अतः अपील अपीलार्थिया विड्रो से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर